4 अध्याय

नागरिकता

इस अध्याय में आप सीखेंगे कि:

- नागरिक कौन हैं, नागरिकता किसे कहते हैं और नागरिकता की व्यवस्था क्यों करनी पड़ी।
- भारत के नागरिक और विदेशी नागरिकों में क्या अन्तर है। नागरिकता प्राप्त करना कितना आवश्यक है।
- नागरिकता कैसे प्राप्त होगी तथा नागरिकता की प्राप्ति के तरीकों और उसके समाप्त करने के तरीकों के बारे में जानकारी प्राप्त होगी।

परिचय (Introduction)

नागरिकता वह श्रेणी है जिसमे सामाजिक अनुबंध के सिद्धातों के तहत अधिकार और उत्तरदायित्व शामिल है।

नागरिकता, लोकतंत्रात्मक राज्य व्यवस्था के मूल सिद्धांत को कानूनी रूप प्रदान करती है। सामान्यत: 'नागरिक' शब्द से आशय किसी देश में स्थित वहाँ के उस व्यक्ति से होता है जिसे सामाजिक, आर्थिक और व्यावहारिक अधिकार स्वतंत्र रूप से प्राप्त होते हैं। दूसरे शब्दों में हम यह भी कह सकते हैं कि नागरिकता किसी देश के संविधान द्वारा उस देश के निवासियों को दिया गया वह राजनीतिक और सामाजिक विशेषाधिकार होता है जो उस देश के निवासियों के सिवा किसी अन्य व्यक्ति को प्राप्त नहीं होता है।

सामान्य रूप से नागरिकता दो प्रकार की होती है—इकहरी नागरिकता और दोहरी नागरिकता। **इकहरी नागरिकता**—भारतीय संविधान में इकहरी नागरिकता का उपबन्ध किया गया है। इकहरी या एक नागरिकता का अर्थ होता है कि किसी देश के नागरिकों को एक ही प्रकार की नागरिकता प्रदान की जाये। **दोहरी नागरिकता**—उनके लिए लागू की गई है जो किसी भी राज्य के निवासी हों। अमेरिका के संविधान में संघीय संविधान को लागू करके वहाँ के नागरिकों को दोहरी नागरिकता प्रदान की गयी है। भारत में भी अप्रवासी भारतीयों को दोहरी नागरिकता प्रदान की गई है।

अधिवास (Domicile)

अधिवास का अभिप्राय उस स्थान या घर से है जहाँ कोई व्यक्ति स्थायी रूप से अनिश्चित काल तक निवास करने के उद्देश्य से रह रहा हो, अधिवास स्थायी और वहाँ से न छोड़ने के इरादे को लेकर होता है। अधिवास दो प्रकार का होता है—(1) वास्तविक अधिवास, (2) अर्जित अधिवास। वास्तविक या मौलिक अधिवास वह अधिवास होता है जिसके अंतर्गत कानून उस व्यक्ति को अधिवास प्रदान करता है, जिसका कि जन्म हुआ है। यह अधिकार कानून द्वारा प्रदत्त होता है। इस प्रकार का अधिवास नागरिकता की प्रमुख विशेषता है। जबकि अर्जित अधिवास के अंतर्गत कोई भी वयस्क व्यक्ति अपनी इच्छानुसार किसी दूसरे देश का अधिवास अर्जित कर लेता है। किन्तु अर्जित अधिवास के लिए यह आवश्यक है कि वह व्यक्ति स्थाई रूप से अपना देश छोड़कर चला गया हो। अवयस्क और अविवाहित स्त्रियाँ स्वतंत्र नहीं होतीं, अत: उन्हें अपना अधिवास परिवर्तन करने की आज्ञा नहीं दी जाती। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 5 अधिवास द्वारा नागरिकता को स्पष्ट करती है। इस अनुच्छेद के अनुसार इस संविधान के प्रारंभ होने पर प्रत्येक व्यक्ति जिसका भारत राज्य क्षेत्र में अधिवास है वह भारत का नागरिक होगा।

भारत में नागरिकता की व्यवस्था (Arrangement of Citizenship in India)

भारतीय संविधान एकल नागरिकता का प्रावधान करता है। यद्यपि भारत का संविधान संघात्मक है, फिर भी यहां नागरिकों को केवल एक ही नागरिकता प्रदान की गई है। जबकि विश्व के अन्य विशेषत: अमेरिकी और स्विट्जरलैंड के परिसंघीय संविधानों में दोहरी नागरिकता की व्यवस्था है। इन देशों में राष्ट्रीय नागरिकता के अतिरिक्त उस राज्य की नागरिकता भी प्राप्त होती है, जहां उस व्यक्ति का जन्म हुआ है अथवा जहां वह स्थायी रूप से निवास करता है। किंतु भारत में ऐसा नहीं है यहाँ प्रत्येक व्यक्ति को एक ही नागरिकता प्राप्त है चाहे वह किसी भी राज्य का निवासी हो। भारतीय संविधान भारत में एक संघीय व्यवस्था की स्थापना करता है। अमेरिका सहित अधिकांश संघीय राज्यों में दोहरी नागरिकता की व्यवस्था है। लेकिन हमारा संविधान एकल नागरिकता अर्थात् भारत की नागरिकता को ही मान्यता देता है। यहां राज्यों की कोई अलग नागरिकता नहीं है। भारत में एकल नागरिकता अपनाने का मुख्य कारण है कि हमने देश की आवश्यकतानुसार संघीय सिद्धांत को संशोधित रूप में अपनाया है। संविधान लागू होने से पहले भारतीय नागरिक दो भागों में विभक्त थे—ब्रिटिश भारतीय नागरिक तथा भारतीय रियासतों के नागरिक।

नागरिक और विदेशियों को प्राप्त अधिकारों में अंतर

- मतदान करने का अधिकार केवल नागरिकों को ही प्राप्त है, विदेशियों को नहीं।
- कुछ मौलिक अधिकार हैं जो केवल भारत के नागरिकों को ही प्राप्त हैं, विदेशियों को नहीं। उदाहरण के लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15, 16 और 19, 29, 30 में वर्णित अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं।
- केवल नागरिक ही कुछ पदों के पात्र हैं जैसे—राष्ट्रपति का पद (अनुच्छेद 58(1)(क)), उपराष्ट्रपति का पद (अनुच्छेद 66(3)(क)), उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश (अनुच्छेद 124(3)), उच्च न्यायालय का न्यायाधीश (अनुच्छेद 217(2)), महान्यायवादी (अनुच्छेद 76(2)), राज्यपाल (अनुच्छेद 157), महाधिवक्ता (अनुच्छेद 165) ये पद केवल भारतीय नागरिकों के लिए ही हैं।
- इसके अतिरिक्त लोकसभा तथा प्रत्येक राज्य की विधानसभा के निर्वाचन के लिए मत देने का अधिकार (अनुच्छेद 326) और संसद सदस्य होने का अधिकार (अनुच्छेद 84) तथा राज्य के विधानमंडल का सदस्य होने का अधिकार (अनुच्छेद 191(1)(घ))। ये अधिकार केवल भारत के नागरिकों के लिए ही उपलब्ध हैं।

भारतीय संविधान में नागरिकता संबंधी अनुच्छेद

भारतीय संविधान में अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता संबंधित जानकारी जोडी गई। अनुच्छेदों का विवरण कुछ इस प्रकार है:-

- **अनुच्छेद 5**—संविधान के प्रारंभ होने की तिथि पर वह प्रत्येक व्यक्ति जो भारतीय राज्य क्षेत्र का निवासी था, जो भारत में उत्पन्न हुआ हो या माता-पिता दोनों में से कोई भारत में जन्मा हो अथवा संविधान के प्रारंभ से पांच वर्ष पूर्व से भारत का निवासी रहा हो, वह भारत का नागरिक माना जायेगा।
- **अनुच्छेद 6**—पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्ति की भारतीय नागरिकता के सम्बन्ध में प्रावधान किया गया है।
- **अनुच्छेद 7**—भारत से पाकिस्तान चले गये व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 7 में उन व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकारों के सम्बन्ध में विशेष प्रावधान किए गये हैं जो 1 मार्च, 1947 के बाद पाकिस्तान प्रवास कर गये थे, किंतु बाद में भारत लौट आये थे।
- **अनुच्छेद 8**—संविधान के इस अनुच्छेद में विदेशों में रहने वाले भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों के लिए नागरिकता के अधिकार का उपलबंध है। ऐसे व्यक्तियों के लिए अनुच्छेद 8 में प्रावधान किया गया है कि कोई व्यक्ति या उसके माता-पिता या पितामह में से कोई भारत शासन अधिनियम, 1935 के अनुसार भारत में जन्मा हो और जो भारत और जो भारत के बाहर किसी देश में सामान्य रूप से निवास कर रहा हो, उसे भारत का नागरिक समझा जाएगा। लेकिन शर्त यह है कि उसे नागरिकता प्राप्ति के लिए समबद्ध देश में भारत के राजनयिक या कौंऊसिलीय प्रतिनिधि द्वारा भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत कर लिया गया हो।
- **अनुच्छेद 9**—यदि किसी व्यक्ति ने स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता स्वीकार कर ली हो तो वह किसी उपबंध के अनुसार नागरिकता का अधिकार होते हुए भी भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। यह प्रावधान केवल उन लोगों से संबंधित है, जिन्होंने संविधान प्रारंभ होने के पहले स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त कर ली थी।
- **अनुच्छेद 10**—इस अनुच्छेद में नागरिकता के अधिकारों के बने रहने का प्रावधान है। किसी नागरिक की नागरिकता का अधिकार, संसदीय विधान के अतिरिक्त किसी अन्य विधि से नहीं छीना जा सकता है। (इब्राहिम वजीर बनाम बम्बई राज्य—1954)।
- **अनुच्छेद 11**—इस अनुच्छेद के उपबंध के तहत देश की राष्ट्रीयता के संबंध में संसद को परिस्थिति के अनुकूल कानून बनाने का पूर्ण अधिकार दिया गया है। यह अनुच्छेद संसद को भारत की नागरिकता के अर्जन तथा निरसन के सम्बन्ध में तथा उससे संबंधित सभी विषयों के सम्बन्ध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है। इसी अनुच्छेद के आधार पर संसद के नागरिकता अधिनियम: 1955 पारित किया, जिसमें नागरिकता के अर्जन तथा निरसन की व्यवस्था की गयी है।

नागरिकता की प्राप्ति

मूल संविधान में नागरिकता प्राप्ति तथा समाप्ति का प्रावधान नहीं था बल्कि 1955 में अधिनियम बनाकर इसे लागू किया गया। नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार भारत की नागरिकता पांच प्रकार से ग्रहण की जा सकती है:

1. **जन्म से नागरिकता**—जिस व्यक्ति का जन्म 26 जनवरी, 1950 को या उसके पश्चात् हो, जन्म से भारत का नागरिक होगा। यदि उसके जन्म के समय माता-पिता भारत के नागरिक हों या कोई एक

हो। किन्तु इस नियम के दो अपवाद हैं—प्रथम, विदेश के राजनैतिक कर्मचारियों के भारत में उत्पन्न होने वाले बच्चे और द्वितीय, शत्रुओं के अधीन भारत के किसी भाग में उत्पन्न होने वाले इनके बच्चे।

2. **वंशानुगत द्वारा नागरिकता**—26 जनवरी, 1950 अथवा उसके पश्चात् तथा 10 दिसंबर 1992 से पहले भारत के बाहर जन्म लेने वाला बच्चा वंशानुक्रम से भारत का नागरिक होगा यदि उस समय उसका पिता भारत का नागरिक हो। लेकिन भारतीय कौन्सुलेट में एक निश्चित अवधि के भीतर पंजीकृत करा लें।
3. **पंजीकरण द्वारा नागरिकता**—संविधान में उल्लिखित उपबंधों के आधार पर जो व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं है, परंतु निम्नलिखित शर्तों में से किसी एक से भी संबंधित हो, तो पंजीकरण द्वारा वह भारत का नागरिक बनने के योग्य है। ये शर्तें निम्नानुसार हैं:
   - भारतीय उद्गम के व्यक्ति जो साधारणतया भारत में रहते हैं, और विशेषतया पंजीकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत करने के कम से कम 5 वर्ष (पहले 6 मास अवधि) पहले से भारत में रहते हैं।
   - भारतीय उद्गम के वे व्यक्ति, जो अविभाजित भारत से बाहर किसी देश अथवा स्थान में रहते हों।
   - वे स्त्रियां, जो भारतीय नागरिकों के साथ विवाह करें।
   - भारतीय नागरिक के अल्पवयस्क बच्चे।
   - राष्ट्रमंडल के राज्यों के तथा आयरलैंड गणराज्य के वयस्क और स्वस्थ बच्चे।
4. **राज्यक्षेत्र में मिल जाने से प्राप्त नागरिकता**—यदि कोई अन्य राज्यक्षेत्र भारत का भाग बन जाता है तो भारत सरकार यह विनिर्दिष्ट करेगी कि उस राज्यक्षेत्र के व्यक्ति भारत के नागरिक होंगे।
5. **देशीयकरण द्वारा नागरिकता**—कोई भी विदेशी नागरिक भारत सरकार को आवेदन करके भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकता है। लेकिन इसके लिए कुछ शर्तों की योग्यता अनिवार्य है, जो निम्नलिखित हैं:
   - वह जिस देश का नागरिक है उसकी नागरिकता का त्याग।
   - संबंधित देश में निश्चित अवधि तक निवास करना।
   - वह सच्चरित्र हो।
   - आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने के तत्काल पूर्व कम से कम एक वर्ष भारत में निवास किया हो और इससे पहले 10 वर्ष से सम्बन्ध रहा हो।
   - संविधान में उल्लिखित भाषाओं में से किसी भी एक भाषा का ज्ञान पर्याप्त रूप से होना।
   - राष्ट्र के प्रति सकारात्मक आस्था का होना।

अपवाद (Exception)

- केन्द्रीय सरकार पूर्वोक्त वर्णित शर्तों में से सभी या किसी को उन व्यक्तियों के सम्बन्ध में लागू नहीं करेगी, जिन्होंने विज्ञान, कला, साहित्य, विश्वशांति या मानवीय प्रगति के हेतु विशिष्ट सेवा की हो। ऐसे व्यक्तियों को उपर्युक्त शर्तों के पूरी किये बिना ही देशीयकरण द्वारा नागरिकता प्रदान की जा सकती है।

नागरिकता की समाप्ति—जिस प्रकार कोई व्यक्ति किसी राज्य की नागरिकता प्राप्त कर सकता है, उसी प्रकार कोई भी नागरिक अपनी नागरिकता खो भी सकता है। सामान्यत: निम्नलिखित नियमों के अनुसार व्यक्ति की नागरिकता का लोप हो सकता है:

- **स्वैच्छिक त्याग**—भारतीय नागरिकता का स्वैच्छिक रूप से त्याग किया जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य राष्ट्र की नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारत की नागरिकता का परित्याग करता है। तो उस पर कोई संवैधानिक अवरोध नहीं लगाया जा सकता, बशर्ते कि वह व्यक्ति किसी प्रकार के अपराध में लिप्त न रहा हो और पूर्णत: निर्दोष हो।
- **प्रवसन द्वारा**—जैसे ही कोई व्यक्ति भारत की नागरिकता का परित्याग कर किसी अन्य देश की नागरिकता अर्जित कर लेता है वैसे ही भारत की नागरिकता समाप्त हो जाती है।
- **वंचित विधि द्वारा**—यदि किसी व्यक्ति ने भारत की नागरिकता कपटता से अर्जित की है या उसने भारतीय संविधान के प्रति अभद्र या अप्रीतिपूर्ण व्यवहार प्रदर्शित किया है तो भारत सरकार उसे भारतीय नागरिकता से वंचित कर सकती है।
- **विवाह द्वारा**—जब कोई स्त्री या पुरुष किसी अन्य राष्ट्र के स्त्री या पुरुष से विवाह कर लेते है और अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं करते तो उनकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाती है।
- **विदेश में नौकरी द्वारा**—जब कोई व्यक्ति विदेश में जाकर सरकारी नौकरी करता है, तब वह अपने देश की नागरिकता खो देता है।
- **राष्ट्र विरोधी कार्य**—जब कोई व्यक्ति राष्ट्र विरोधी कार्य करता है तो उसकी नागरिकता समाप्त कर दी जाती है अर्थात् यदि कोई व्यक्ति फौज से भाग जाता है या देशद्रोह के अपराध में पकड़ा जाता है या किसी और अपराध के कारण दण्डित होता है तो उस व्यक्ति की नागरिकता को समाप्त कर दिया जाता है।
- **कुछ अन्य कारण**—इन कार्यों के अतिरिक्त अन्य भी कुछ ऐसे कारण है, जिनके नागरिकता का लोप हो सकता है जैसे—पागलपन, फकीरी, सन्यास ग्रहण छात्रवृत्तियाँ अथवा किसी प्रकार की सहायता जो राज्य सरकार प्रदान करती है इत्यादि।

प्रवासी भारतीयों से सम्बन्धित नागरिकता का प्रावधान (Provisions for NRIs)

प्रवासी भारतीय का वर्गीकरण

विभिन्न देशों मे उनकी स्थिति के अनुरूप प्रवासी भारतीयों को तीन मुख्य भागों में बांटा जा सकता है:

(1) भारतीय मूल के लोग (पी आई ओ—Person of Indian Origin)
(2) अप्रवासी भारतीय (एन आर आई—Non Resident Indians)
(3) भारतीय मूल के नागरिकता रहित लोग (एस.पी.आइ.ओ—Stateless Person of Indian Origin)

भारतीय मूल के लोग (पी.आई.ओ.)—प्रथम श्रेणी के लोग औपनिवेशिक ताकतों की साम्राज्यवादी नीतियों से जुड़े हुए हैं। ये लोग 'दस्तावेज व्यवस्था' (इण्डेंचर सिस्टम) के समय देशांतरण किए गए लोगों की संताने हैं। ये लगभग विश्व के सभी महाद्वीपों में करीबन 110 देशों में बसे हुए हैं। इन्होंने अपने देशांतरण के समय कई प्रकार की समस्याओं का सामना किया गया आज भी कई समस्याएं उनके समक्ष हैं। केवल मूल अंतर उनके कार्यशैली व प्रकार में देखनें को मिलता हैं। भारतीय मूल के ज्यादातर लोग आज फिजी, म्यांमार, श्रीलंका, मॉरीशस, मलेशिया, पूर्व एवं मध्य अफ्रीका, वेस्ट इंडीज आदि देशों में रहते हैं। उन्हें पहले अपने औपनिवेशिक शक्तियों द्वारा तथा आज वहाँ स्थानीय लोगों के विरोधों का सामना करना पड़ा है। यद्यपि इनमें से अधिकतर आज वहां की आबादी बन गए हैं, तथापि कईयों को आज भी तीसरे देश हेतु देशांतरण करना पड़ा रहा है। अब यह केवल सांस्कृतिक व धार्मिक दृष्टि से ही भारतवर्ष के साथ जुड़े हुए हैं।

पी.आई .ओ (P.I.O.) कार्ड—भारत सरकार द्वारा पी.आई.ओ. स्कीम 1999 में आरंभ की गई थी। इसे सरकार ने 2002 में संशोधित किया जिसका उद्देश्य अपनी जड़ों की ओर लौटाने की यात्रा को अधिक सरल, आसान, और पूर्ण रूप से समस्याओं से मुक्त बनाना है। इसे पन्द्रह वर्षों तक वैध माना जाता है। आवेदक को जारी एक पीआईओ कार्ड अपने जीवनकाल के लिए मान्य होगा, बशर्ते ऐसे आवेदक के पास वैध पासपोर्ट हो। एक PIO कार्ड की वैधता पासपोर्ट की वैधता पर निर्भर करती है।

पी.आई.ओ. कार्ड धारकों के लाभ—भारत की यात्रा के लिए वीजा की आवश्यकता नहीं। छात्रा वीजा या रोजगार वीजा लेने की आवश्यकता नहीं। किसी एक भारत यात्रा के दौरान 180 दिन तक नहीं प्रवास करता है तो उसे पंजीकरण कराने से मुक्ति मिल जाएगी। पीआईओ कार्ड धारकों को आर्थिक, वित्तीय तथा शैक्षणिक क्षेत्रों में वही सुविधाएं प्राप्त होती हैं जो अनिवासी भारतीयों को मिलती है।

ओवरसीज सिटिजनशिप ऑफ इंडिया (ओसीआई) (Oversease Citizenship of India)—जनवरी 2006 में ओसीआई कार्ड की शुरूआत की गई। पहला कार्ड निवृत्ति राय को प्रदान किया गया। पहली बार वर्ष 2008 में प्रवासी भारतीयों को दोहरी नागरिकता प्रदान करने की घोषणा की गई थी। फरवरी, 2011 से ओसीआई कार्ड धारकों को मतदान का अधिकार दे दिया गया है। इसे सामान्यत: दोहरी नागरिकता भी कहा जाता है, इसके अंतर्गत अमेरिका, ब्रिटेन, स्विट्जरलैण्ड, नीदरलैंड सहित कुल 16 देशों (ऑस्ट्रेलिया, पुर्तगाल, फ्रांस, स्वीडन, न्यूजीलैंड, यूनान, साइप्रस, इटली, फिनलैंड, आयरलैंड) में बसे प्रवासी भारतीयों को ओवरसीज नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। इन्हें बिना पासपोर्ट के आने-जाने की स्वतंत्रता होगी किंतु इन्हें कोई संवैधानिक पद प्राप्त करने का अधिकार नहीं होगा और नहीं उन्हें अनुच्छेद 16 द्वारा प्रदत्त अवसर की समानता का अधिकार होगा।

ओवरसीज सिटिज़नशिप ऑफ इंडिया के लाभ—ओसीआई प्राप्त व्यक्ति को आजीवन वीज़ा-मुक्त भारत यात्रा की सुविधा प्राप्त होती है, जबकि पीआईओ कार्ड धारक को यह सुविधा 15 वर्षों के लिए प्राप्त होती है। यदि पीआईओ कार्ड धारक अपनी किसी भी भारत यात्रा के दौरान 180 दिनों से अधिक ठहरता है तो उसे स्थानीय पुलिस अधिकारी के यहाँ अपना पंजीकरण कराने की आवश्यकता होती है, जबकि ओसीआई प्राप्त व्यक्ति को ऐसा करने की आवश्यकता नहीं होती, चाहे वह जितने भी दिनों तक भारत में निवास करें।

अप्रवासी भारतीय (एनआरआई) (Non Resident Indian Citizenship Amendment Act 1956)—अप्रवासी भारतीय एक नवीन स्थिति है जिसके अंतर्गत भारतीयों ने यूरोप व पश्चिमी एशिया की ओर देशांतरण किया। फेरा कानून के अंतर्गत अप्रवासी की परिभाषा इस प्रकार दी गई है—'अप्रवासी वह भारतीय नागरिक है जो अपनी नौकरी या व्यवसाय चलाने, या छुट्टियों हेतु देश से बाहर जाये तथा परिस्थितियों वश लम्बे समय तक बाहर रहने की इच्छा रखता हो।' सामान्तया वह व्यक्ति भारतीय पासपोर्ट रखता है या उसके माता-पिता या दादा-दादी भारतीय हैं या अविभाजित भारत में स्थाई रूप से निवास करता है। आमतौर से द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बहुत सारे कुशल एवं अकुशल व्यक्ति अपने लिए नौकरी या आजीविका कमाने के अवसर प्राप्त करने हेतु इंग्लैण्ड या यूरोप के किसी अन्य देश में चले गए। 1970 के बाद बहुत सारे लोग पश्चिमी एशिया तेल से उत्पन्न स्थिति का लाभ उठाने वहां देशांतरण कर गए। 1990 के दशक में बहुत कुशल विशेषता प्राप्त लोग पहली दुनिया के देशों की ओर चले गए। बहुत अधिक संख्या में डॉक्टर, इंजीनियर, सॉफ्टवेयर विशेषज्ञ आदि अमेरिका में अवसरों को प्राप्त करने हेतु देशांतरण कर गए। ये सभी अप्रवासी आज भी अपनी मातृभूमि को एक बड़ी संख्या में धनराशि प्रत्यावर्तन के तौर पर भेजते हैं। लगभग हर वर्ष 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर भारत में खाड़ी देशों के अप्रवासी भेजते हैं। 1991 में खाड़ी संकट के समय भारत में आये आर्थिक संकट के समय उनका महत्त्व अति स्पष्ट रूप से उजागर हुआ। इसके बाद पोखरन-2 के बाद की स्थिति, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया के रिसर्जेंट बांड एवं 'मिलेनियम बांड' के संदर्भ में भी इनका योगदान अति महत्त्वपूर्ण रहा।

भारतीय मूल के राज्यविहीन लोग (एसपीआईओ)—उपनिवेशवाद की समाप्ति के बाद विदेशो में बसे भारतीय मूल के लोगों नागरिकता विहीनता की स्थिति का सामना करना पड़ा है। कुछ लोगों को न तो उनकी सरकार ने वहां की नागरिकता प्रादन की तथा न ही उन्हें भारत भेजा गया। वे भारतीय मूल के 'राज्य-रहित' या 'नागरिक-रहित' लोग बन कर रह गये। वहां के राज्यों द्वारा संरक्षित जातीय राजनीति का शिकार हो गए हैं। कई देशों के संदर्भ में द्वि-पक्षीय समझौतों के बाद भी स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया। यह समस्या कुछ देशों जैसे विशेषकर श्रीलंका, म्यांमार एवं कुछ पूर्वी अफ्रीका के देशों के संदर्भ में अत्यधिक चिन्ता वाली बनी रही।

नागरिकता संबंधी अधिनियम (Citizenship Acts)

नागरिकता अधिनियम, 1955 (Citizenship Act 1955)

नागरिकता अधिनियम (1955) संविधान लागू होने के बाद अधिग्रहण एवं नागरिकता के लोप होने के बारे में बताता है और इसके लिए राष्ट्रकुल

नागरिकता की व्यवस्था करता है। इस अधिनियम को दो बार संशोधित किया गया। पहला नागरिकता (संशोधन) अधिनियम 1986 में एवं नागरिकता (संशोधन) अधिनियम 1992 में।

नागरिकता संशोधन अधिनियम, 1986

संशोधित अधिनियम के प्रावधान निम्न हैं:

1. भारत में जन्म लेने वाला कोई व्यक्ति यदि भारतीय नागरिक के रूप में पंजीकृत होना चाहता है, तो उसे भारत में लगातार पांच वर्षों से रहने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। इससे पूर्व यह अवधि छः माह थी।
2. किसी भी बच्चे (व्यक्ति) को भारत में जन्म लेने के कारण स्वतः नागरिकता नहीं दी जायेगी। जन्म के आधार पर मात्र उन्हीं लोगों को नागरिकता प्रदान की जा सकती है, जिनके माता-पिता में से कोई एक पहले से ही भारत का नागरिक रहा हो। इससे पूर्व के अधिनियम के मात्र जन्म लेने से ही स्वतः नागरिकता प्राप्त होने का प्रावधान था।
3. प्रवासी के रूप में रहने वाले विदेशी व्यक्ति के लए देशीयकरण के आधार पर नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारत में निवास करने की जो शर्त पूर्व में पांच वर्ष थी, उसे बढ़ाकर 10 वर्ष कर दिया गया।
4. इस संशोधन अधिनियम के पश्चात् भारतीय पुरुष से विवाह करने वाली विदेशी महिला को नागरिकता प्राप्त करने का अधिकार दिया गया।
5. नागरिक संशोधन अधिनियम, 1986 जम्मू-कश्मीर और असम सहित भारत के सभी राज्यों में लागू होगा।

नागरिकता संशोधन अधिनियम, 1992
(Citizenship Amendment Act 1992)

1992 में भारतीय संसद ने सर्वसम्मति से नागरिकता संशोधन विधेयक (1992) पारित किया जिसके अंतर्गत यह व्यवस्था की गई कि भारत से बाहर पैदा होने वाले बच्चे को, यदि उसकी मां (माता) भारत की नागरिक है तो उसे भारत की नागरिकता प्राप्त होगी। इससे पूर्व उसी दशा में भारत की नागरिकता प्राप्त होती थी, यदि उसका पिता भारत का नागरिक हो। इस प्रकार अब नागरिकता के प्रसंग में बच्चे की माता को पिता के 'समकक्ष स्थिति' प्रदान की गई है।

भारतीय नागरिकता अधिनियम, 2005
(Indian Citizenship Act, 2005)

भारतीय मूल के लोगों को दोहरी नागरिकता देने संबंधी भारतीय नागरिकता (संशोधन) अधिनियम 2005, नागरिकता अधिनियम, 1955 को संशोधित करता है जिसके अंतर्गत नागरिकता अधिनियम, 1955 की चौथी अनुसूची को नकाल दिया गया है। इसके अंतर्गत पाकिस्तान एवं बांग्लादेश को छोड़कर अन्य देशों में 26 जनवरी, 1950 के बाद जाकर बसे भारतीय मूल के सभी नागरिक भारत की नागरिकता प्राप्त करने के योग्य हैं। किसी अपराध में लिप्त या संदिग्ध आचरण वाले प्रवासी भारतीयों को दोहरी नागरिकता नहीं मिल सकेगी। लोकसभा/राज्यसभा/विधानसभा/विधान-परिषद् के चुनाव में भाग नहीं ले सकते हैं और न ही कोई संवैधानिक पद जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के जज के पद पर नियुक्त हो सकते हैं तथा कृषि भूमि भी नहीं खरीद सकते।

नागरिकता संशोधन विधेयक, 2015 (Citizenship Amendment Bill–2015)—संसद के दोनों सदनों में नागरिकता (संशोधन) विधेयक 2015 (Citizenship Amendment Bill, 2015) को मार्च 2015 में स्वीकृति प्रदान की गई। यह विधेयक लोकसभा में 2 मार्च, 2015 को और राज्यसभा में 4 मार्च, 2015 को पारित हुआ। इस विधेयक में विदेशों में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों को भारतीय नागरिकता जैसी सुविधाएं देने के उद्देश्य से नागरिकता अधिकार अधिनियम, 1955 में संशोधन का प्रस्ताव है। भारतीय संस्कृति एवं मूल्यों के प्रति समर्पित भारतवंशियों को मातृभूमि से जोड़ने के लिए लाया गया यह विधेयक अधिनियमित होकर दिसम्बर, 2014 में लाए गए और 6 जनवरी, 2015 को राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर किये जाने के बाद अस्तित्त्व में आ गया। नागरिकता (संशोधन) अधिनियम 2015 के तहत प्रवासी भारतीय नागरिक और भारतीय मूल के व्यक्ति योजनाओं को विलय करने का प्रावधान है। हालांकि ओसीआई कार्डधारकों को भारत में पूर्ण नागरिक के अधिकार नहीं होंगे (भारत में खेती की जमीन खरीदने तथा राजनीतिक व अधिकारिक पद ग्रहण करने का अधिकार नहीं होंगे), तथापि भारत में निवास करने, कारोबार करने एवं अन्य अनेक मामलों में भारतीय नागरिकों के समान ही सुविधाएं उन्हें भारत में प्राप्त होंगी। नागरिकता (संशोधन) अधिनियम 2015 के कुछ प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित हैं:

- भारत में विवाह करने वाले विदेशियों को भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए देश में एक वर्ष लगातार रहने की शर्त समाप्त होगी।
- भारतीय मूल के लोगों को आजीवन वीजा देने और भारत की अपनी प्रत्येक यात्रा या प्रवास के दौरान उन्हें स्थानीय थानों में हाजिर होने की शर्त से छूट देने का प्रावधान।
- भारतीय नागरिकों के ओसीआई नाबालिग बच्चों का प्रवासी भारतीय नागरिक (ओसीआई) के तौर पर पंजीकरण की शर्त को उदार बनाने का प्रावधान।
- धारा 7 ए के तहत पंजीकृत प्रवासी भारतीय के पति या पत्नी या भारतीय नागरिक के पति या पत्नी के लिए प्रवासी भारतीय नागरिक के तौर पर पंजीकरण का अधिकार होगा और जिनकी शादी दो वर्ष की अवधि के लिए पंजीकृत या कायम रही हो, वे तुरंत की इस धारा के तहत आवेदन कर सकते हैं। ज्ञातव्य है कि भारतीय नागरिकता अधिनियम, 1955 में भूमि अधिग्रहण, कार्यमुक्ति, संकट, भारतीय नागरिकता की पहचान और अन्य संबंधित प्रावधान हैं। इस अधिनियम के तहत जन्म, पीढ़ी, पंजीकरण, विशेष परिस्थितियों में स्थान का विलय या किसी स्थान में शामिल किए जाने के साथ ही नागरिकता समाप्त होने और संकट के समय में भी भारतीय नागरिकता प्रदान किए जाने का प्रावधान है।

भारत मूल के कार्डधारक व्यक्ति (पीआईओ) एवं प्रवासी भारतीय नागरिक (ओसीआई) में अंतर

पीआईओ

1. गृह मंत्रालय योजना (19-8-2002) के अंतर्गत पीआईओ कार्ड धारक के रूप में पंजीकृत व्यक्ति पीआईओ कहलाता है।
2. वयस्कों के लिए स्थानीय मुद्रा में 15000 रूपये तथा 18 वर्ष तक की आयु बच्चों के लिए स्थानीय मुद्रा में 7500 रूपये शुल्क होता है।
3. पीआईओ कार्ड धारक व्यक्ति भारत में 15 वर्ष तक विचरण कर सकता है।
4. अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, चीन, नेपाल, पाकिस्तान एवं श्रीलंका को छोड़कर अन्य सभी देशों में रहने वाले पीआईओ कार्ड प्राप्त कर सकते हैं।
5. पीआईओ कार्ड धारक व्यक्ति को भारतीय नागरिकता तभी मिल सकती है जब वह आवेदन देने से पूर्व 7 वर्षों से अधिक समय से भारत में रह रहा हो।
6. पीआईओ कार्ड धारक व्यक्ति को पहली बार भारत में रहने की अवधि 180 दिनों से अधिक होती है तो उसे स्थानीय पुलिस में रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होता है।

ओसीआई

1. नागरिकता अधिनियम, 1955 के प्रवासी भारतीय नागरिक के रूप में दर्ज व्यक्ति जो 2.12.2005 से लागू है, ओसीआई कहलाता है।
2. भारतीय मूल के कार्डधारक की स्थिति में 25 अमेरिकी डॉलर या समान स्थानीय मुद्रा शुल्क के रूप देना पड़ता है। विदेशी नागरिकों के लिए यह शुल्क 275 अमेरिकी डॉलर या समान स्थानीय मुद्रा होता है।
3. ओसीआई कार्ड धारक व्यक्ति बिना वीजा के पूरा जीवन भारत में निवास कर सकता है।
4. पाकिस्तान एवं बांग्लादेश को छोड़कर विश्व के सभी देशों के पीआईओ और ओसीआई कार्ड प्राप्त कर सकते हैं।
5. ओसीआई कार्ड धारक व्यक्ति भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए आवेदन देने से 1 वर्ष पहले से भार में रह रहा हो तो उसे आवेदन देने के 5 वर्ष बाद भारतीय नागरिकता मिल सकती है।
6. ओसीआई कार्ड धारकों को इससे छूट प्राप्त है।

अध्याय सार संग्रह

- भारतीय संसद ने 'भारतीय नागरिकता अधिनियम' 1955 ई. में पारित किया। नागरिकता संशोधन अधिनियम, 1986 में भारतीय संसद ने पुन: पारित किया। 1992 में नागरिकता कानून में भारतीय संसद ने पुन: संशोधन किया।
- संविधान के अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 व 30 में वर्णित मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त हैं।
- उच्चतम न्यायालय ने प्रदीप जैन बनाम भारत संघ 1984 वाद में यह निर्णय लिया है कि अनुच्छेद 5 के अधीन जिस एक अधिवास को मान्यता है वह है 'भारत का अधिवास'। भारत में राज्यों के अधिवास को मान्यता नहीं है।
- सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड बनाम राम नारायण (1955) के वाद में तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश श्री महाजन ने 'अधिवास' शब्द की परिभाषा निम्न प्रकार से दी है, 'वह स्थान किसी व्यक्ति का अधिवास स्थान होता है जहाँ वह स्थायी रूप से निवास कर रहा हो और वर्तमान समय में उसे छोड़ने का कोई इरादा न हो'।
- अवयस्क का अधिवास पिता का अधिवास होता है और पत्नी अपने पति के अधिवास का अनुसरण करती है। विधवा अपने पूर्व पति का अधिवास तब तक रखती है जब तक वह स्वयं इसे न बदल दे।
- जब कोई भारतीय पुरुष नागरिकता का त्याग करता है तो उसके साथ-साथ उसका अवयस्क बच्चा पुन: भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकता है, यदि वह वयस्क होने के एक वर्ष के भीतर भारतीय नागरिक होने के बारे में घोषणा कर दे।
- देशीकरण, रजिस्ट्रीकरण, अधिवास और निवास के आधार पर बने हुए किसी भी नागरिक को भारत सरकार एक आदेश जारी करके उसको नागरिकता से वंचित कर सकती है, यदि भारत सरकार को यह लगे कि लोकहित के लिए यह उचित नहीं है कि उसे भारत का नागरिक बने रहने दिया जाए।
- कारपोरेशन या कम्पनी भारतीय नागरिकता की श्रेणी में नहीं आती अर्थात् नागरिकता में केवल प्राकृतिक व्यक्ति आते हैं, विधिक व्यक्ति नहीं।
- अनुच्छेद 19 में प्रयुक्त 'व्यक्ति' शब्द के अंतर्गत केवल प्राकृतिक व्यक्ति ही आते हैं कृत्रिम व्यक्ति नहीं। मूल अधिकार केवल प्राकृतिक व्यक्तियों को प्रदान किए गए हैं।
- भारतीय संविधान में समस्त भारत के लिए एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है।
- भारत सरकार के लिए यह आवश्यक है कि वह किसी नागरिक को उसके नागरिकता से वंचित करने के पहले, उस नागरिक को एक लिखित सूचना दे और उसमें उन आधारों का उल्लेख करे, जिसके आधार पर उसे उसकी नागरिकता से वंचित किया जाना हो।